F.No. NCBC/06/07/321/2020-CP

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसंधान अनुभाग

सुनवाई के कार्यवृत

श्री भीम प्रसाद द्वारा प्राप्त शिकायत में मानसिक उत्पीड़न तथा सहायक प्राध्यापक के समान वेतन न दिए जाने व सहायक प्राध्यापक के पदानुसार नौकरी न दिए जाने के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष डॉ. भगवान लाल साहनी एवं श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 में दिनाँक 06.01.2021 समय 12: 00 बजे सुनवाई नियत की गयी।

बैठक मे उपस्थित अधिकारी
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष
2. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य
3. डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति, माननीय उपाध्यक्ष
4. श्री आचारी तल्लोजू, माननीय सदस्य
5. श्री आनंद कुमार, सचिव
6. श्री बी. के. पति, निदेशक
7. श्री दिनेश कुमार, निजी सचिव मा. अध्यक्ष
8. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी
9. कु. पारुल भारद्वाज, अनुसंधान अन्वेषक
10. श्री रमेश बाबू विश्वनाथुला, विधि सलाहकार
11. श्री विश्वेन्द्र, विधि सलाहकार

आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु अपेक्षित अधिकारीगण :-

1. डॉ. पी. के. सिंह, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार

आयोग के समक्ष उपस्थित अधिकारीगण :-

1. डॉ. पी. के. सिंह, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार
2. डॉ. सी. एन. सिंह, एम्. एस., अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार

उपस्थित शिकायतकर्ता :-

1. श्री भीम प्रसाद

सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का विवरण:

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: शिकायतकर्ता अपनी शिकायत से आयोग को अवगत कराए।

श्री भीम प्रसाद, शिकायतकर्ता: महोदय, "स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार" द्वारा देश के 06 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थानों में समूह "ए" श्रेणी के विभिन्न स्थायी पदों (प्रोफेसर/ एडिशनल प्रोफेसर/ एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर) पर नियुक्तियों के लिए दिनांक 28 दिसंबर 2011 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

2. उक्त विज्ञापन के फलस्वरुप मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर- एनाटॉमी विभाग में स्थाई पद के लिए आवेदन दिया था (आवेदन नं. FNAIIMS012011- 003087) जिसके पश्चात मुझे दिनांक 31.03.2012 को उपरोक्त पद के लिए कॉल लेटर प्राप्त हुआ जसमे मुझे दिनांक 10.04.2012 को असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

3. दिनांक 10/04/2012 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली में उपरोक्त पद के लिए मेरा साक्षात्कार लिया गया एवं मेरे सभी आवश्यक दस्तावेजों का निरीक्षण एवं सत्यापन किया गया।

4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक "जेड. 28016/3/202 एस. एस. एच., दिनांक 13 जुलाई 2012" द्वारा उक्त सभी पदों के परिणाम घोषित किया गया जिसमें मुझे "अन्य पिछड़ा वर्ग" में इंगित करते हुए "अनारक्षित" पद पर चयन किया गया। उपरोक्त चयन की सूचना विभागीय वेबसाइट (परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार) पर प्रकाशित की गई।

5. उक्त पदों के चयन को "गवर्निंग बॉडी", "इंस्टिट्यूट बॉडी" और अंत में संबंधित "मंत्रालय" (परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा मान्य एवं अनुमोदित किया गया।

6. माननीय महोदय मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि मैं दिनांक 21 अगस्त 2012 से ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत उसी तिथि से नियमित रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पूरी निष्ठां एवं ईमानदारी से कार्य कर्ता रहा हूँ ।

7. इस संबंध में संस्थान के "निदेशक", "प्रशासनिक अधिकारी" एवं "विभागाध्यक्ष-एनाटॉमी" के हस्ताक्षर से निर्गत आदेशों में "असिस्टेंट प्रोफेसर-एनाटॉमी" इंगित करते हुए ड्यूटी आदेश निर्गत किए गए हैं "प्रशासनिक अधिकारी" द्वारा निर्गत "अनापत्ति एवं अनुभव प्रमाण पत्र", दिनांक 28 मई 2016 में भी मुझे दिनांक 21 अगस्त 2012 से अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान, पटना में नियमित रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत होने का प्रमाण पत्र दिया गया है।

8. माननीय महोदय, मैं वर्ष 2012 से ही निरंतर "असिस्टेंट प्रोफेसर" के पद पर कार्य करता रहा हूं, किंतु तत्कालीन निदेशक "डॉ गिरीश कुमार सिंह" द्वारा मुझे जानबूझकर बिना किसी पूर्व सूचना/कार्यवाही/आदेश/ दुराचार या जाँच के मुझे दिनांक 07/01/2016 को "सीनियर रेसिडेंट" (जो कि एक Tenure एवं Training–cum–Job Post है) पद नाम से संबोधित करते हुए दिनांक 06/04/2016 को सेवाएं समाप्त होने का आदेश निर्गत किया गया जो कि सर्वथा अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है तथा मैं इस पद को न तो धारण करता हूँ और न ही मैं इस पद के लिये उपयुक्त हूँ । जो कि एक शल्य चिकित्सीय पद है।

9. मेरे साथ नियुक्त सभी व्यक्तियों को बिना किसी रूकावट एवं भेदभाव के सभी को एसोसिएट प्रोफेसर एवं एडिशनल प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति भी दी जा चुकी है केवल मुझे ही पदोन्नति नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा संस्थान के निदेशक द्वारा व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर यह अवगत कराया गया कि मेरी नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई है और मैं नियमावली के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हेतु ही अर्ह हूं तथा सीनियर रेसीडेंट की अहर्ता एवं कार्य अलग है जो कि मैं धारण नहीं करता हूं ऐसी स्थिति में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बनाए रखा जाए और इस आदेश को वापस निरस्त किया / जाए, किंतु मुझे निदेशक एवं उच्च स्तर पर कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ और इस निराशाजनक स्थिति में मुझे "माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना" के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। "माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना" के आदेश दिनांक में एम्स पटना के 2016/03/30 के आदेश को बहुत ही विनम्रता पूर्वक खारिज कर दिया गया और यह निर्देश दिया 2016/01/07 दिनांक गया किमुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का पद दिया जाए किंतु उपरोक्त माननीय न्यायाधिकरण के आदेश का अनुपालन निदेशक द्वारा जानबूझकर एवं दुर्भावना से ग्रसित होकर नहीं किया गया जिसके कारण मुझे दोबारा माननीय न्यायाधिकरण की शरण में जाना पड़ा।

10. इस बीच इस आदेश को जानबूझकर एवं मुझे प्रताड़ित करने हेतु निदेशक द्वारा "माननीय उच्च न्यायालय, पटना" में चुनौती डी गई एवं इस बीच मुझे दोबारा निदेशक द्वारा "सीनियर रेसिडेंट" पद नाम से संबोधित करते हुए दोबारा सेवा समाप्ति का आदेश दिनांक 19/09/2018 को निर्गत किया गया। महोदय, मैं आयोग को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 30/03/2016 के विरुद्ध निदेशक ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में याचिका (C.W.J.C. No.- 20011 of 2016) दाखिल किये, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश (C.W.J.C. No.- 20011 of 2016 एवं C.W.J.C. No.- 14821 of 2018) दिनांक-19/12/2019 के द्वारा खारिज कर दिया एवं अपने उक्त आदेश में मेरी नियुक्ति को विधि सम्मत एवं न्यायपूर्वक बताया एवं निदेशक को आदेश दिया कि दो माह के भीतर (19/02/2020 तक) मेरे सभी बकाया वेतन का भुगतान दिनांक-21/08/2012 से किया जाए।

11. महोदय, माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेशों के बावजूद भी मेरी सर्विस को अभी तक पुनः आरम्भ नहीं किया गया है और न ही मेरे वेतन भत्तों का भुगतान किया जा रहा है एवं इसके लिए मैंने कई प्रार्थना पत्र निदेशक एवं मंत्रालय को दिए है लेकिन मुझे अभी भी जान बूझ कर आर्थिक एवं जातिगत रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।अतः माननीय आयोग से मेरा अनुरोध है कि मेरी समस्या को हल किया जाए एवं मुझे यथोचित न्याय दिया जाए।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, आप बताये।

डॉ. पी. के. सिंह, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान: इनकी असिस्टेंट प्रोफेसर की अहर्ता नहीं थी।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या अहर्ता होनी चाहिए?

डॉ. पी. के. सिंह, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान: असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु पी. एच. डी. के पश्चात् अनुभव भी होना चाहिए परंतु इन्होने तब ही अपनी पी. एच. डी. पूर्ण की थी इनके पास उसके पश्चात् का कोई कार्यानुभव नहीं था।

श्री रमेश बाबू विश्वनाथुला, विधि सलाहकार: इनका चयन तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही हुआ था।

डॉ. पी. के. सिंह, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान: जी ।

श्री रमेश बाबू विश्वनाथुला, विधि सलाहकार: मतलब आप यह स्वीकार करते हैं कि इनका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर ही हुआ था।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: जब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जा चुका है तो आप क्यूँ उस निर्णय को नहीं मान रहे है क्या आप अपने आपको माननीय उच्च न्यायालय से भी ऊपर मानते हैं?

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: जब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने ही इनको चयनित किया है तो उन्होंने तो सभी जांच पड़ताल की ही होगी। आप स्वयं पड़कर बताइए कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत इस आदेश में क्या लिखा है।

डॉ. पी. के. सिंह, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान: इसमें तो यही लिखा है कि श्री भीम प्रसाद का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुआ है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: जब इनका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुआ है, इनको जो नियुक्ति पत्र मिला है वह भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित होने का मिला है, आपकी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इनका पद असिस्टेंट प्रोफेसर ही लिखा हुआ है, आपके ड्यूटी रजिस्टर में भी इनका पद असिस्टेंट प्रोफेसर ही लिखा हुआ है। इस सब के पश्चात् ऐसी क्या परिस्थिति बन गई जिसकी वजह से आपको इनको सीनियर रेसिडेंट की सैलरी देनी पद गई?

डॉ. पी. के. सिंह, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान: मैं तो वही बोल रहा हूँ जो हमारे पास जो डाक्यूमेंट्स है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: डाक्यूमेंट्स नहीं, ये आप लोग बोल रहें है कि ये सीनियर रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं जबकि आपकी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इनका पद असिस्टेंट प्रोफेसर ही लिखा हुआ है, आपके ड्यूटी रजिस्टर में भी इनका पद असिस्टेंट प्रोफेसर ही लिखा हुआ है।

डॉ. पी. के. सिंह, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान: हमारे पास श्री भीम प्रसाद के द्वारा हस्ताक्षर किया गया पत्र है जिसमे इन्होने स्वयं ही यह लिखा हैं कि ये सीनियर रेसिडेंट के पद पर नियुक्त हुए हैं।

श्री भीम प्रसाद, शिकायतकर्ता: महोदय, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ कि यह पत्र मुझसे दबाब में लिखवाया गया था, मुझसे बोला जाता था अगर मैंने हस्ताक्षर नहीं किये तो मेरे पद को ही समाप्त कर दिया जाएगा एवं केट के समक्ष मेरे मामले को ले जाया जाएगा।अतः मुझे हस्ताक्षर करने पड़ें।

डॉ. पी. के. सिंह, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान: इनकी नियुक्ति ही सीनियर रेसिडेंट के पद पर हुई थी इनका असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन ही नहीं हुआ था। हो सकता है कि श्री भीम प्रसाद एवं उस समय पदस्थ निदेशक के बीच में कोई मौखिक वार्तालाप (वर्वल कम्युनिकेशन) हुआ हो कि तीन साल होने के बाद इन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: ऐसी कितनी वर्वल कम्युनिकेशन होती हैं आप लोगो की? यह जानकारी कि श्री भीम प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित है यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना की आधिकारिक वेबसाइट पर किसने डाली थी उसको भी अगली सुनवाई में बुलाया जाए। इसके साथ ही ड्यूटी रजिस्टर मेन्टेन करने वाले कर्मचारी एवं सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भी बुलाया जाए।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होने के बाद भी ऐसी कौन सी अहर्ता थी जो शिकायतकर्ता के पास नहीं थी?

सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग: आपके यहाँ पर सभी लोग इन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही नियुक्त समझते है एवं इसी पद से हर जगह संवोधित करते हैं क्या किसी ने भी इसको संज्ञान में नहीं लिया।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: आपकी सारी बातें निरर्थक है। एक बार चयन समिति ने अपना निर्णय ले लिया उसको तो कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है, इस पर माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्णय आ चुका है जब उन्होंने भी मान लिया है कि इनका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही नियुक्त हुए है। आप अपनी मानसिकता को बदलिए।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: क्या आपने श्री भीम प्रसाद को टर्मिनेट करने के पूर्व, स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुमति ली थी? उसकी एक प्रति प्रस्तुत करें। साथ ही आप वह पत्र भी प्रस्तुत करें जिसमे इन्हें सीनियर रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया हैं।